



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02112021-230876
CG-DL-W-02112021-230876

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 17] नई दिल्ली, अक्टूबर 24—अक्टूबर 30, 2021, शनिवार/ कार्तिक 2 — कार्तिक 8, 1943
No. 17] NEW DELHI, OCTOBER 24—OCTOBER 30, 2021, SATURDAY/ KARTIKA 2 — KARTIKA 8, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2021

का.नि.आ.33.—जबकि केन्द्र सरकार का मत है कि श्री एम.के.टी. गौड़ा, वरिष्ठ नागरिक स्टाफ अफसर (सेवानिवृत्त) से संबंधित विभागीय जांच के लिए आईसी-46247 ए लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज जाखर (सेवानिवृत्त) को साक्षी के रूप में समन करना आवश्यक है।

अतः अब, विभागीय जांच (साक्षी की उपस्थिति और दस्तावेजों के प्रकटीकरण का प्रवर्तन) अधिनियम, 1972 (1972 का 18) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद् द्वारा आईसी 46695 कर्नल अतुल दिमरी, जांचकर्ता प्राधिकारी को श्री एम.के.टी. गौड़ा, वरिष्ठ नागरिक स्टाफ अफसर (सेवानिवृत्त) के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच के संबंध में कथित अधिनियम की धारा 5 में विनिर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

[सं. सी-13014/1/14-रक्षा(सतर्कता-III)]

भूपेश पिल्लई, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 28th October, 2021

S.R.O. 33.—WHEREAS the Central Government is of the opinion that for the purpose of the departmental inquiry relating to Shri M.K.T. Gowda, Senior Civilian Staff Officer Retd.), it is necessary to summon IC-46247 A Lt. Col. Manoj Jakhar (Retd.) as witness.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witness and Production of Documents) Act, 1972 (18 of 1972), the Central Government hereby authorize IC 46695 Col. Atul Dimri, the inquiring authority to exercise the power specified in Section 5 of the said Act in relation to departmental inquiry held against Shri M.K.T. Gowda, Senior Civilian Staff Officer(Retd.).

[No. C-13014/1/14-D(Vig-III)]

BHUPESH PILLAI, Under Secy.